राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रतिलिपि : (1) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान

(2) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान

कमांक : प.10(3)राज-6/2001/

जयपुर, दिनांक 19.1.2002

विषय :- खनिज लीज / लाइसेन्स क्षेत्रों में अतिक्रमणों को नियमित न करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

"उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री तथा " "फैडरेशन ऑफ माईनिंग एसोसियेशन ऑफ राजस्थान " द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खनन लीज / लाइसेन्स क्षेत्रों में राजकीय भूमि पर काफी अतिक्रमण हुए हैं एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों जिनके अधीन अवैध अतिक्रमणों को नियमन के निर्देश दिये गये हैं उनके संदर्भ में कार्यवाही करते समय खनन लीज व लाइसेन्स क्षेत्रों में भी ऐसे अतिक्रमणों को नियमन करने की कार्यवाही होने की संभावना बनी रहती है जिसके कारण खनन क्षेत्र में किए गये अनियमित अतिक्रमण नियमित होने के परिणामस्वरूप खनन उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करे कि खनन क्षेत्रों में जहाँ खनन लीज/लाइसेन्स जारी किये हुए हैं वहाँ राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों को नियमन सम्बन्धी कार्य नहीं किया जाए एवं यदि ऐसे प्रकरण आवंटन कमेटी के समक्ष विचाराधीन हो तो उस बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में खनन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनसे विचार कर लिया जावें ।

भवदीय

ह/-

(जी.एस. सन्धु)

सचिव - राजस्व

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

कमांक: निदे/प.2/अप्र /का.स./12/82 / 84 - 154

दिनांक - 16 .2.2002

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर ।
2. अतिरिक्त निदेशक (भू विज्ञान) उदयपुर / जयपुर / जोधपुर / मुख्या. उदयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), कें.का. उदयपुर
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, (मु.-I/II/III) केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर/भरतपुर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/भीलवाड़ा
6. वित्तीय सलाहकार / उप विधि परामर्शी
7. खनिअभियन्ता, जयपुर / अजमेर / सीकर / मकराना/ भरतपुर /करौली/धौलपुर/ अलवर/कोटा/ रामगंजमंडी /बूंदी-I/ II/ जोधपुर/ सिरोही/बीकानेर /नागौर/उदयपुर / राजसमन्द-1 / II/ आमेट/भीलवाड़ा/ चित्तौडगढ़/ बिजोलिया/ (याचिका)जयपुर/जोधपुर ।
8. सहायक खनि अभियन्ता,टोंक/कोटपुतली/झालावाड़/बालेसर/ बाड़मेर/ सोजत /जालोर /श्रीगंगानगर /जैसलमेर /गोटन/ डूंगरपुर / बाँसवाड़ा/सलुम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेड़ा ।
9. अप्रधान रियायती अनुभाग - डी.सी. उदयपुर/कोटा-भीलवाड़ा/जयपुर/जोधपुर-बीकानेर/भरतपुर, केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर ।
10. प्रकाशन अनुभाग/प्रधान अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय

1721

अधीक्षण खनि अभियन्ता